भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 484

जिसका उत्तर 06.02.2025 को दिया जाना है

भूमि अधिग्रहण हेतु क्षतिपूर्ति

484. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में विझिनजाम-नवाइकुलम आउटर रिंग रोड परियोजना के कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लिए क्षतिपूर्ति के वितरण में देरी से भूमि मालिकों को बड़ी मुश्किलें हो रही हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भूमि अधिग्रहण के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने में देरी के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार भूमि मालिकों की उनकी संपत्तियों के प्रतिस्थापन मूल्य के अनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान करने की मांग पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार मुद्दों को हल करने और इस परियोजना के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ) केरल में विझिनजाम-नवाइकुलम बाहरी रिंग रोड परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सौंप दी गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(क) के तहत अधिसूचित भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) द्वारा भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को अंतिम रूप दिया गया है और राष्ट्रीय राजमार्ग (रारा) अधिनियम 1956 और भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे का निर्धारण किया गया है। परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी के लिए पारस्परिक प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

*****